न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,
नम्बर मुकदमा – 143 / 2019 निर्णय दिनांकः– 08.05.2024

1 चमकौर सिह पि. सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया
2 गुरजन्ट सिह जिला हनुमानगढ (राज0)

वादीगण

बनाम

1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया
2 शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी.बैक शाखा दीनगढ तह. संगरिया
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिंवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति स. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादीगण के पिता प्रति स. 1 के नाम से चक 1 ए.एम.पी. (बी)खाता स. 94 / 85 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स . 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह के नाम से चक 1 ए.एम.पी. (बी)खाता स. 94 / 85 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में कुल 1.645 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि हमारी जद्दी जायदाद है। जो हमारे पिता प्रति स. 1 को हमारे दादा से विरास्तन प्राप्त हुई है। इस आराजी में वादीगण का प्रति स. 1 के साथ जन्म से ही हक बनता है।घरू बंटवारा मुताबिक प्रतिस. 1 ने अपने समस्त हक हिस्सा की आराजी का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है।अतः प्रतिस 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण है। चक 1 ए.एम.पी. (बी)खाता स. 94 / 85 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह के नाम दर्ज कुल 1.645 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।उक्त आराजी मे प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है।अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह का कलमजन किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स. 1 की ओर से सहमति का जवाब दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 16:04:13
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रति स. 2 की ओर से कई अवसर लिये जाने के बाद भी जवाब दावा पेश नही किये जाने पर जवाब दावा बंद किया गया।साक्ष्य वादी में वादी स. 2 गुरजण्ट सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 1 ए.एम.पी. (बी)खाता स. 94/85 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में प्रति स . 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह के नाम दर्ज कुल 1. 645 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है।अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह का नाम कलमजन किया जावे।अधिवक्ता प्रति स. 1 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 1 ए.एम.पी. (बी)खाता स. 94/85 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 1 ए.एम.पी. (बी)खाता स. 94/85 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में प्रति स . 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह के नाम दर्ज कुल 1. 645 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है।अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह का नाम कलमजन किया जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 8.5.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 15:04:13 I
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 चमकौर सिह
2 गुरजन्ट सिह
पि. सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

वादीगण

बनाम

1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया
2 शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी.बैक शाखा दीनगढ तह. संगरिया
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

मु. स. 143/2019 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 1 ए.एम.पी. (बी)खाता स. 94/85 खाला सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में प्रति स . 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह के नाम दर्ज कुल 1.645 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है।अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र सन्ता सिह का नाम कलमजन किया जावे।

निज......X........ मुब्लिक.......X........ बाबत.......X........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 08.05.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested